

फर्द अहकाम
(नियम 26)

कलक्टर
S.D.O. खीसरा

मुकाम

खीसरा

बनाम

अशोक कुमार शर्मा निरमल काले

नं. 03/14

सन् 2014

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

नकील नारी उषा शर्मा।

नकील नारी द्वारा प्रस्तुत न्याय उक्त अधिकांश है
प्रतिवादी को जमाने समेत तलब की गई है।
नकील नारी का 40.2.2014 को पड़ा है।

सहायक कलक्टर
S.D.O. खीसरा

2/14 नकील नारी उषा -

अधिकांश को उक्त 5 की तौर से नकील श्री चन्द्राशंकर
काकर नामा पेश किया जो रत.दि. है। नकील अधिकांश
बेकारना न्याय वाकिल अशोक कुमार शर्मा नकील नारी
पुत्रा पेश करें। पेश होने पर जारी होकर नकील नारी
लकील का 7.4.14 को पेश है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) खीसरा

अधिकांश
की तौर से
07 को जारी है
2/14

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में/भ्रमण/
स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए
पत्रावली उनके समक्ष दिनांक. 5-6-14
को प्रस्तुत हो।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

अधिकांश के - अधिकांश अधिकांश 2014

पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में/भ्रमण/
स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए
पत्रावली उनके समक्ष दिनांक. 24/7/14
को प्रस्तुत हो।

24/7/14

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

अधिकांश के - अधिकांश अधिकांश 2014

पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में/भ्रमण/
स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए
पत्रावली उनके समक्ष दिनांक. 18-9-14
को प्रस्तुत हो।

28/9/22

पत्रावली पेश हुई।
पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/
भ्रमण/में है/ स्थानान्तरण हो चुका है/
असकाश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी
दिनांक को 7/12/22 को पेश हो।

7/12/22

पत्रावली पेश हुई। वहीलवादी मय वाली
को ज्वायलजु-कोर्ट में छार-छार आवाज
दिलवायी गयी, अगर गैर हाफिर। इतः
छार-छार आवाज दिलवाने के बावजूद भी
वहीलवादी मय वाली के उपस्थित नहीं होने के
कारण इनके विरुद्ध एगु पक्षीय कार्यवाही -
अमल में जारी जाऊ उक्त प्रकरण/पत्रावली
के अदम पैरवी - अदम हाजरी में खारिज
किया जाता है। वाली के निवेदन पर एगु
पत्रावली को Restore/Reopen किया जा-
लेगा है।

पत्रावली अमल शुमार होकर, नम्बर
से छुम होकर बाद जास्ता दारिख्त फरमा
ये।

सहायक कलक्टर
(SDO), खीवसर